



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/सीआईआर/ 684

10/10/2024

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: ब्याज समतुल्यीकरण योजना में गैर-एमएसएमई के लिए मदों की सूची में कुछ निर्यात उत्पादों को शामिल करने के लिए इनपुट/औचित्य- के संबंध में।**

इसमें ब्याज समतुल्यीकरण योजना में गैर-एमएसएमई के लिए मदों की सूची में कुछ उत्पादों को शामिल करने के लिए इनपुट/औचित्य के संबंध में नीति प्रकोष्ठ प्रभाग, डीजीएफटी, नई दिल्ली से प्राप्त संचार का संदर्भ है।

अधिकारी हमारी परिषद से संबंधित कुछ आईटीसी एचएस लाइनों, विशेष रूप से एचएस कोड 3923: प्लास्टिक से बने माल के परिवहन या पैकिंग के लिए लेख; प्लास्टिक से बने स्टॉपर, ढक्कन, कैप और अन्य क्लोजर पर इनपुट मांग रहे हैं। एचएस कोड 3923 के तहत उत्पाद बनाने वाले सदस्य निर्यातकों को संलग्न प्रारूप का उपयोग करके अपने इनपुट प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, श्रम-गहन उत्पादों का निर्माण करने वाले सदस्यों को संलग्न फ़ाइल को भरने और इसे 10 अक्टूबर, 2024 को दोपहर 2 बजे तक परिषद को भेजने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

कृपया अपने इनपुट [bharti@plexconcil.org](mailto:bharti@plexconcil.org) [anirudha@plexconcil.org](mailto:anirudha@plexconcil.org) पर सबमिट करें।

सादर अभिवादन,

भारती पारावे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद

